(47)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म.प्र.

R.5250-II/16

Rs.30/-

1- बसंतलाल पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा

2- राधिका प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा

3- सूरज प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा

4- राजेश प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा

5- शैलमणि मिश्रा पिता श्री केदार प्रसाद मिश्रा

सभी निवासी ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र.

---- आवेदक गण

बनाम

1- जगन्नाथ गडरिया पिता पियारे गडरिया, साकिन बैजनाथ तह. हुजूर थाना चोरहटा जिला रीवा म.प्र. ----- अनावेदक

श्री राम प्रताप द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 6-6-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय सर्किल बनकुइयां, बाबत प्र.क्र.73/अ-12/15-2016 आदेश दिनांक 30.5.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1:- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि,प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

सूरज प्रसाद मिश्रा

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5250–दो/15 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–17	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। चूंकि आवेदक आवेदक अभिभाषक पिछली पेशी पर उपस्थित थे तथा इस पेशी पर अनुपस्थित है इसलिए प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होना चाहिए चाहिए, परन्तु न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल बनकुइयां के प्रकरण कमांक 73/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30–5–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। सीमांकन पंचनामें से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जी है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	